

छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड, रायपुर

“छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक, यूनानी तथा प्राकृतिक चिकित्सा व्यवसायी अधिनियम, 1970

(अनुकूलन आदेश 2001) के अधीन गठित”



{ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन के अधीन एक सांविधिक निकाय }

रजिस्ट्रार कार्यालय - शासकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय चिकित्सालय भवन, रायपुर

492010(छत्तीसगढ़) फोन एवं फैक्स 0771 - 2263165, 09425213277 (मोबाईल)

वेबसाईट - www.cgaupcb.in, ई-मेल - registrar@cgaupcb.in

बोर्ड द्वारा 01 फरवरी 2020 से लिये जाने वाले फीस का विवरण


स क्र	विवरण	शुल्क राशि (रूपयों में)
1.	समस्त प्रकार के आवेदन फार्म शुल्क	100 = 00
2.	स्थायी पंजीयन शुल्क (स्थायी पंजीयन शुल्क की राशि केवल मनीआर्डर द्वारा स्वीकार किया जाता है)	100 = 00
3.	अस्थायी पंजीयन शुल्क	100 = 00
4.	संदान राशि (अ) अस्थायी पंजीयन हेतु आवेदकों के लिए:- (ब) प्रदेश के विश्वविद्यालयों से चिकित्सकीय अर्हता धारी व्यवसायी, जो कि इस बोर्ड में अस्थायी पंजीकृत हैं, उनके लिए :- (स) प्रदेश से बाहर के विश्वविद्यालयों से चिकित्सकीय अर्हता धारी व्यवसायी, जो इस बोर्ड में स्थायी पंजीयन हेतु आवेदक हैं, उनके लिए :-	2000 = 00 3500 = 00 4500 = 00
5.	प्रदेश के बाहर की अर्हता के लिये सत्यापन शुल्क	5000 = 00
6.	अन्य बोर्ड/परिषद से पंजीयन सत्यापन के लिये सत्यापन शुल्क	5000 = 00
7.	डाक व्यय शुल्क	300 = 00
8.	डुप्लीकेट प्रमाण पत्र शुल्क	05 = 00
9.	डुप्लीकेट प्रमाण पत्र संदान राशि	1000 = 00
10.	नाम/उपनाम परिवर्तन शुल्क	1000 = 00
11.	अन्य किसी प्रकार के प्रमाण पत्र, अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं पता परिवर्तन के लिए शुल्क (निर्धारित पंजीयन प्रमाण पत्रों के अतिरिक्त)	500 = 00
12.	कोई भी पुनरावेदन (अपील) हेतु शुल्क	1000 = 00
13.	पहचान पत्र शुल्क	100 = 00
14.	योग्यता वृद्धि शुल्क (केवल मनीआर्डर द्वारा स्वीकार किया जावेगा)	05 = 00
15.	प्रदेश के विश्वविद्यालयों से चिकित्सकीय अतिरिक्त अर्हता धारी व्यवसायी, जो कि इस बोर्ड में पंजीकृत हैं, उनके लिए संदान राशि :-	3600 = 00
16.	प्रदेश के बाहर की अतिरिक्त अर्हता के लिये सत्यापन शुल्क	4600 = 00

बोर्ड द्वारा 01 जनवरी 2015 से लिये जाने वाले विलम्ब शुल्क

स.क्र.	विवरण	01 जनवरी 2018 से प्रवृत्त विलम्ब शुल्क (रूपयों में)
1	स्थायी पंजीयन हेतु आवेदन में विलम्ब होने पर विलम्ब शुल्क :- (निर्धारित अस्थायी पंजीयन प्रमाण पत्र में अंकित अंतिम तिथि अथवा इन्टर्नशिप पूर्ण करने की अंतिम तिथि के आधार पर)	
	01. उक्त तिथि से एक माह तक कोई विलम्ब शुल्क नहीं है :-	00 = 00
	02. उक्त निर्धारित तिथि से एक माह से अधिक तथा एक वर्ष से कम समय हो तो विलम्ब शुल्क :-	300=00
	03. उक्त निर्धारित तिथि से एक वर्ष से अधिक तथा दो वर्ष से कम समय हो तो विलम्ब शुल्क :-	600=00
	04. उक्त निर्धारित तिथि से दो वर्ष से अधिक तथा पांच वर्ष से कम समय हो तो विलम्ब शुल्क :-	1500=00
	उक्त निर्धारित तिथि से पांच वर्ष अधिक समय तक पंजीयन नहीं हुआ हो तो ऐसे प्रकरण बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किये जायेंगे, जिसमें बोर्ड का निर्णय अंतिम और सर्वमान्य होगा।	

बोर्ड द्वारा 01 जुलाई 2014 से लिये जाने वाले सूचीकरण का नवीनीकरण शुल्क

स क्र	विवरण	शुल्क राशि (रूपयों में)
1.	आवेदन फार्म शुल्क	100 = 00
2.	नवीनीकरण शुल्क (नवीनीकरण शुल्क की राशि केवल मनीआर्डर द्वारा स्वीकार किया जाता है)	50 = 00
3.	संदान राशि	1000 = 00
4.	डाक व्यय शुल्क	250 = 00
5.	प्रमाण पत्र शुल्क	500 = 00



(डॉ. संजय शुक्ला)

रजिस्ट्रार

छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड, रायपुर